फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी

प्रभाराम पुत्र श्री जोराराम देवासी, निवासी सियाकरा तह. व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट **रा.प्रा.पत्र सं. 80/2025**

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29.09.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील हुनर सिंह देवड़ा व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/769 दिनांक 10.09.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम पादरूखेड़ा पटवार हल्का सनपुर की जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 45 खसरा सं. 16 में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में नाम प्रभूराम पुत्र जोरा दर्ज है। मौका–फर्द के अनुसार तथा प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम प्रभाराम है। प्रार्थी प्रभाराम व प्रभूराम दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व ग्राम पादरूखेड़ा पटवार हल्का सनपुर के खाता सं. 45 खसरा सं. 16 मे प्रभूराम पुत्र जोरा के स्थान पर प्रभाराम पुत्र जोरा दर्ज किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है अतः ***राजस्व ग्राम पादरूखेड़ा पटवार हल्का सनपुर के खाता सं. 45 खसरा सं. 16 मे प्रार्थी का नाम प्रभूराम पुत्र जोरा के स्थान पर प्रभाराम पुत्र जोरा संसोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज.)	